इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

1००
(28)

पत्रांक : 28/A/ प्र0अ0– भवन / जोन–1 / 2012–13 दिनांक 01 / 03 / 2013

विनियमितीकरण/अनुमति-पत्र

यह विनियमितीकरण / प्रस्तावित निर्माण की अनुमति क्रमशः उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 एवं 14 / 15 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर विनियमितीकरण / प्रस्तावित मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती श्यामकली कुशवाहा, प्रबन्धक, न्यू मार्डन पब्लिक स्कूल द्वारा आराजी संख्या–40 (पार्ट) मौजा–सरांय बेगम एवं भूखण्ड संख्या–C पॉकेट–B नीम सरांय आवास योजना इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल मानचित्र के विनियमितीकरण / प्रस्तावित निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं तत्समय समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
3. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तुत स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 10 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
6. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग मानक के अनुसार पूर्ण कर भू–गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना अनिवार्य रूप से करनी होगी
8. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे आवेदक को जमा करना होगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यदि भूखण्डों का उप–विभाजन अथवा पार्क या रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्रा0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
11. मकान निर्माण से यदि नाली के खड़ंजा की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आगे पीछे अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण तक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् व्यवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
12. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनाधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी

01/03/13

(गुडाकेश शर्मा)
संयुक्त सचिव / प्र0अ0–भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

अनुमति पत्र
एवं मानचित्र की एक प्रति
प्राप्त किया
श्यामकली
1. 3. 13

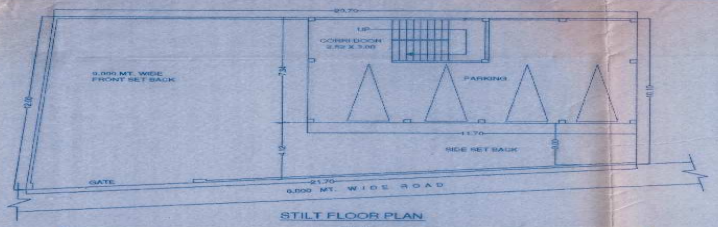

Door/Window Schedule

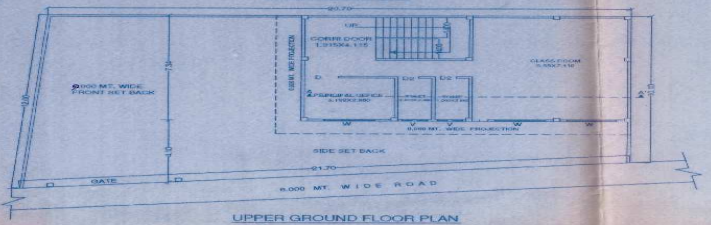

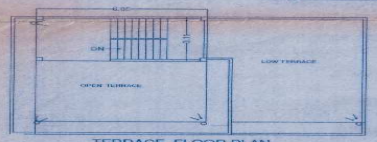

S.N.	Spc.	Size
1.	D	1.05X2.40
2.	D1	0.90X2.40
3.	D2	0.75X2.40
4.	W	1.80X1.65
5.	W1	1.20X1.35
6.	V	0.90X0.45

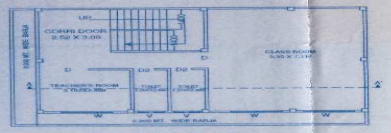

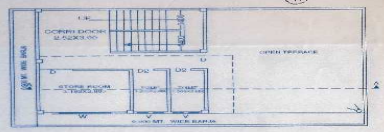

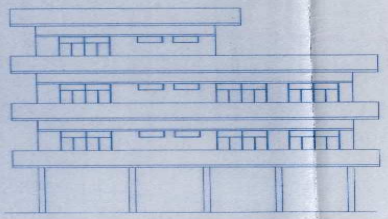

AREA STATEMENT

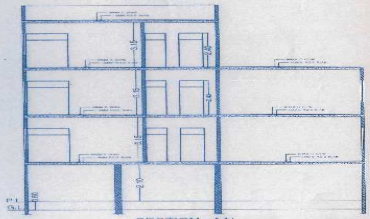

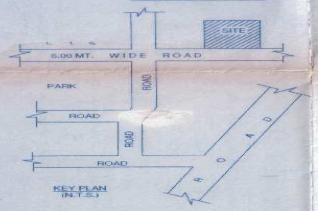

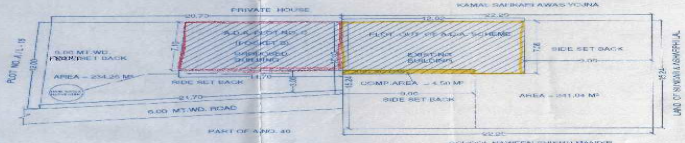

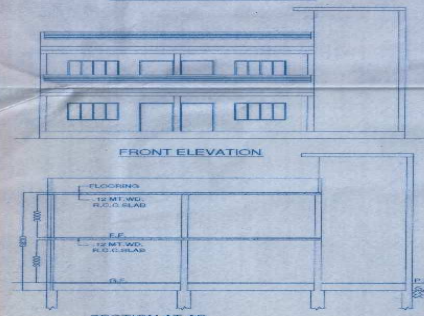

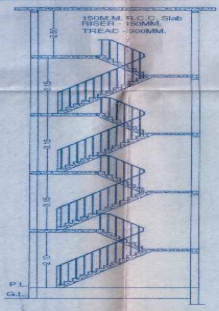

EXISTING COVERED AREA DEVELOPED &
PROPOSED AREA TO BE DEVELOPED
TOTAL PLOT AREA (234.26 +341.04) = 575.30 Sq.mt.
PROPOSED STILT FLOOR AREA = 83.07 Sq.mt.
PROPOSED COVD. AREA U.G.F. = 83.07 Sq.mt.
PROPOSED COVD. AREA F.F. = 83.07 Sq.mt.
PROPOSED COVD. AREA S.F. = 18.82 Sq.mt.
EXISTING COVD. AREA G.F. = 95.10 Sq.mt.
EXISTING COVD. AREA F.F. = 95.10 Sq.mt.
OPEN AREA ON G.F. = 398.23 Sq.mt.
MUMMTY AREA = 19.55 Sq.mt.
COVERAGE AREA ON G.F. = 30.78%
F.A.R. = 0.65
NO. OF CAR PARKING = 4 NOS.
EXISTING COMPOUNDED WORK SHOWN THUS
PROPOSED WORK SHOWN THUS

AREA DETAIL CHART

FLOOR	EXIS.AREA (M²)	PROP. AREA(M²)	TOTAL AREA (M²)	F.S.R. (COMP.M²)
STILT	-	83.07	83.07	
U.G.F./ G.F.	95.10	83.07	178.17	4.50
F.F.	95.10	83.07	178.17	4.50
S.F.	-	83.07	83.07	

DECLAIRATION:- IT IS CERTIFIED THAT THIS DRAWING HAS BEEN MADE AS PER A.D.A. BY LAWS 2008, & MASTER PLAN 2021

EXISTING & PROPOSED NURSERY SCHOOL BUILDING PLAN OF PLOT NO:- (C) POCKET - B NEEM SARAI HOUSING SCHEME & PART OF A.NO. 40 MAUZA SARAI BEGUM , ALLAHABAD.

SCALE 1:100

Owner :-
NEW MODERN PUBLIC SCHOOL DWARA
SMT. SHYAMKALI

SIG. OF OWNER

CREATIVE CONSTRUCTION

मुख्य नगर नियोजक

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण